न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2018 (रे.अ.)
पंजीयन दिनांक 18.01.2018
G.C.M.S. NO. :- 2018/00030

राजु पुत्र श्री हरकलाल जी कलाल जाति कलाल उम्र 40 वर्ष निवासी बडी का खेड़ा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी उप तहसीलदार बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्ध बनाराजगी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बस्सी प्रकरण संख्या 22/2015/ना.कब्जा निर्णय दिनांक 10.09.2015 अपराध धारा–91 (3) सपठित धारा 6 राजस्व भू अधिनियम 1956

उपस्थिति : 1– श्री भैरूलाल वैष्णव अधिवक्ता अपीलान्ट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 10.08.2021

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का अभयपुर द्वारा ग्राम बडी का खेड़ा की आराजी नम्बर 49 मी रकबा 10.45 हैक्टेयर में से 0.90 हैक्टेयर किस्म मंगरी पर अपीलांट का अतिक्रमण बताया जिसमें से 0.06 है. में मूंगफली, 0.06 हैक्टेयर चरी ज्वार, शेष 0.78 हैक्टेयर पड़त फसल खरीफ सम्वत् 2072 में अनाधिकृत फसल काश्त करना तथा पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना बताते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होने के कारण दो माह का सिविल कारावास, बेदखली एवं अतिक्रमित रकबे के बन्दोबस्त लगान 0.90 रु. का 50 गुणा अर्थात राशि 45/– रूपये शास्ति का आदेश पारित किया जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने पर

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

बाद सुनवाई इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 37/2015 निर्णय दिनांक 15.11.2016 से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.09.2015 को यथावत रखने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 42/2016 एल. आर. में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.11.2016 को अपास्त कर पश्चात्वर्ती अतिकमण संबंधी बिन्दु पर परीक्षण कर, पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बस्सी से संबंधित पत्रावली एवं विवादित आराजीयात पर अपीलांट का पश्चात्वर्ती कब्जा/अतिकमण है अथवा नहीं? के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट तलब की गई। उप तहसीलदार बस्सी से पत्रावली एवं पश्चात्वर्ती अतिकमण के संबंध में मौके की रिपोर्ट प्राप्त होने एवं अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल वैष्णव तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम बडी का खेड़ा की आराजी नम्बर 49 मी रकबा 10.45 हैक्टेयर मे से 0.90 हैक्टेयर भूमि पर जिसमें से 0.06 है. में मूंगफली, 0.06 है. में चरी ज्वार व शेष 0.78 है. पडत पर अपीलांट का कब्जा/अतिकमण था उक्त कब्जे को अपीलांट द्वारा छोड दिया गया है विवादित आराजीयात पर वर्तमान में अपीलांट का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार बस्सी का आदेश दिनांक 10.09.2015 निरस्त फरमावें।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन मंगरी दर्ज होने से गांवई गैर मुमकिन मंगरी (चारागाह) के रूप में उपयोग में ली जाती है। अपीलांट द्वारा किया गया अतिकमण नियमन योग्य नही पाये जाने तथा पश्चातवर्ती कब्जे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो माह का सिविल कारावास, बेदखली एवं राशि 45/- रूपये शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया गया था एवं उप तहसीलदार बस्सी की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में भी अपीलांट का कब्जा सिद्ध है अतः पारित निर्णय विधि सम्मत् होने से यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली एवं उप तहसीलदार, बस्सी से अपीलांट के पश्चात्वर्ती कब्जे के संबंध में प्राप्त मौका रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। उप तहसीलदार, बस्सी से अपीलांट के पश्चात्वर्ती कब्जे/अतिकमण के संबंध में प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का विवादित आराजीयात पर वर्ष 2014, 2015, 2016 एवं 2017 तक लगातार कब्जा है एवं वर्ष 2018 में कब्जा नहीं होना तथा पुनः वर्ष 2019 में उक्त आराजीयात रकबा 0.90 है. पर अतिकमण होकर 0.20 है. में चरी ज्वार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

की बुवाई करना एवं 10X10 वर्गफीट की दो दुकानों का निर्माण होना तथा शेष भूमि पड़त होना बताया है। इस प्रकार वर्ष 2018 को छोड़कर वर्ष 2014 से 2019 तक वर्तमान में भी अपीलांट का अतिक्रमण होना बताया है। रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने प्रश्नगत आराजी पर दो पक्की दुकानों का निर्माण भी कर लिया है।

उप तहसीलदार, बस्सी से प्राप्त पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का विवादित आराजीयात पर वर्तमान में भी अतिक्रमण सिद्ध है। चूंकि विवादित भूमि किस्म गैर मुमकिन मंगरी दर्ज होकर उक्त आराजी गांवई गैर मुमकिन मंगरी (चारागाह) के रूप में उपयोग में ली जाती है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उप तहसीलदार, बस्सी से प्राप्त पश्चात्वर्ती कब्जे/अतिक्रमण की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 49 मी. रकबा 10.45 है. किस्म गै. मू. मंगरी में से रकबा 0.90 है. पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की पुष्टि होती है। पश्चात्वर्ती कब्जा पाया जाने एवं प्रकरण नियमन योग्य नही पाया जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने एवं दो माह के सिविल कारावास की सजा तथा 45/-रूपये शास्ति का पारित आदेश विधि-सम्मत् होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2015 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official